प्रेस विज्ञप्ति

31.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी श्रीमती अलका मित्तल की लगभग 9.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

भोपाल लोकायुक्त द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ख) और 13(2) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। जांच में डॉ. अमरनाथ मित्तल पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। जांच के दौरान यह पता चला कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी वैध आय से काफी अधिक थी।

जांच से यह सिद्ध हुआ है कि जांच अवधि के दौरान डॉ. अमरनाथ मित्तल की वैध आय लगभग 60 लाख रुपये थी, जबकि अर्जित संपत्ति और किए गए व्यय लगभग 2.98 करोड़ रुपये थे। परिणामस्वरूप, लगभग 2.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति जमा हुई। आरोप है कि उन्होंने अपने नाम के साथ-साथ अपनी पत्नी और ए एन मित्तल ह्युफ के नाम पर भी काफी चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं, जो स्वामित्व को छिपाने और अवैध स्रोतों से प्राप्त धन को छुपाने के प्रयासों का संकेत देती हैं। जांच में आगे यह भी पता चला है कि संपत्तियों और परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बेहिसाब नकदी, अस्पष्ट जमा और कई स्तरों पर किए गए वित्तीय लेनदेन का इस्तेमाल किया गया था। आरोपी ने काफी मात्रा में ऐसे व्यक्तिगत और घरेलू खर्चे भी किए जिनका सत्यापन नहीं किया जा सकता था और उसने अपराध से प्राप्त धन को अपने और अपनी पत्नी की सीमित वैध आय के साथ मिलाकर वैध दिखाने का प्रयास किया। जांच में आगे यह भी पता चला है कि आरोपी ए एन मित्तल ने 2012 में एफआईआर दर्ज होने से पहले खरीदी गई संपत्तियों को बेच दिया था और उससे प्राप्त धनराशि को और अधिक चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में पुनर्निवेश किया था, जो अपराध की आय को बेदाग दिखाने के लिए उसके कब्जे और हेराफेरी का संकेत देता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग करके संपत्तियों की खरीद के माध्यम से अर्जित लाभ अपराध की आय का ही फल है, जिसे इस अनंतिम कुर्की आदेश में लगभग 9.79 करोड़ रुपये की राशि तक कुर्क कर लिया गया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में दीर्घकालिक पूंजी लाभ बॉन्ड, भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित आवासीय और कृषि भूमि शामिल हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।